संख्या-07/2017/796/62-1-2017-830/98

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 दिनांक : लखनऊ : 05 जुलाई, 2017

विषय: प्रदेश में दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2017 तक "भूजल सप्ताह" का आयोजन किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विगत वर्षों में प्रदेश में बढती हुई जनसंख्या एवं औद्योगिकीकरण के कारण जल संसाधनों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्रोतों का अनियंत्रित एवं अविवेकपूर्ण दोहन किया जा रहा है। इससे प्रदेश के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर में चिन्ताजनक गिरावट एवं अतिदोहन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तथा प्रदेश के 217 विकासखण्ड अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमीक्रिटिकल श्रेणी में पहुंच गये हैं। जहां एक ओर भूजल उपलब्धता में कमी आयी है, वहीं दूसरी ओर भूजल प्रदूषण एवं जल प्लावन की समस्याएं भी सामने आयी हैं। समग्र भूजल प्रबन्धन के दृष्टिगत प्रदेश के लिए यह एक गम्भीर चुनौती है।

2- प्रदेश के 217 समस्याग्रस्त विकासखण्डों एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल संसाधनों की स्थिति में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में "राज्य भूजल संरक्षण मिशन" के रूप में महत्वाकांक्षी एवं अभिनव योजना आरम्भ की जा रही है। मिशन के अन्तर्गत संकटग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की उपयुक्त विधियों की संरचना करते हुए भूजल संसाधनों की उपलब्धता में प्रभावी स्तर तक सुधार लाये

जाने का लक्ष्य है। भूजल संरक्षण के शासकीय प्रयासों के साथ-साथ आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विविध जागरूकता व प्रचार-प्रसार कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

3- देश में उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां भूगर्भ जल सम्पदा के महत्व के प्रति जन-जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य "भूजल सप्ताह" मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष् का मुख्य विचार बिन्दु "भूजल जीवन की आस-संरक्षण का करो प्रयास" (Ground Water is hope of life-Conserve it) रखा गया है, जिसपर उक्त आयोजन केन्द्रित रहेगा।

4- इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों की विशेष भूमिका है। शासनादेश संख्या-732/62-1-2012-830/98, दिनांक 05 जून, 2012 में दिये गये निर्देशों के तहत जनपद स्तर पर पूरे सप्ताह मनाये जाने वाले इस आयोजन की कार्ययोजना इस प्रकार बनायी जाय कि भूजल संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुँचे और वह इसके प्रति संवेदनशील बन सके। सम्पूर्ण प्रदेश में "भूजल सप्ताह" का आयोजन राज्य, मण्डल, जनपद, तहसील एवं विकासखण्डों में, विशेष रूप से <u>स्थानीय स्कूल-कालेजों/शैक्षिक संस्थानों की व्यापक सहभागिता के साथ</u> किये जाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाय:-

(1) परिचर्चा और संवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना।

(2) कठपुतली का प्रदर्शन, लोक नृत्य/गीत और नुक्कड नाटक इत्यादि का आयोजन करना।

(3) पोस्टर्स, होर्डिंग, बैनर्स इत्यादि का प्रदर्शन कराया जाना।

(4) प्रदर्शनी, मेलों, उत्सव आदि का आयोजन करना।

(5) पद यात्राओं, रैलियों, संगोष्ठियों, साइकिल परेड आदि का आयोजन किया जाना।

(6) फिल्म/वृत्तचित्र, स्लाइड्-शो, आकाशवाणी, रेडियो कार्यक्रम, दूरदर्शन आदि के माध्यम से भूजल संरक्षण के संदेश प्रसारित किया जाना।

(7) वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन से सम्बन्धित योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण यथासम्भव क्षेत्र के माननीय जन प्रतिनिधियों द्वारा "भूजल सप्ताह" की अवधि में कराया जाना।

5- अवगत हों कि शासन के पत्र संख्या-594/62-1-2017-1107/215टीसी-11, दिनांक 19-05-2017 के द्वारा <u>जनपद स्तर पर भूजल सेना का गठन</u> किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुपालन में जिन जनपदों में भूजल सेना का गठन हो चुका है, उन जनपदों के जिलाधिकारियों से अपेक्षा है कि भूजल सेना के समन्वयक

को भूजल के महत्व का सन्देश प्रचारित करने हेतु निर्देशित करेंगे। भूजल सेना के समन्वयक इस हेतु भूजल सेना के छोटे-छोटे समूह बनाकर स्कूल-कालेज, ग्राम एवं ब्लाक स्तर पर प्रचार-प्रसार का कार्य करायेंगे। भूगर्भ जल विभाग के मण्डल स्तर पर स्थापित कार्यालय प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक तकनीकी सामग्री उपलब्ध करायेंगे। जिन जनपदों में भूजल सेना का गठन नहीं हुआ है, उन जनपदों में कार्यवाही को गति प्रदान करते हुए यथाशीघ्र गठन पूर्ण कर लिया जाये।

6- आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या 607/62-2-2017-329/ ए0सी0एस0/ ल0सि0/2017, दिनांक 21-02-2017 द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा कराये गये बोरिंग, नलकूप, तालाबों का पुनर्विकास तथा चेकडैम के कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं डुप्लीकेसी रोकने हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन में हर गांव में इनका रजिस्टर रखा जाना है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता (भूगर्भ जल विभाग के खण्डीय कार्यालयों से समन्वय स्थापित करते हुए) भूजल सप्ताह की अवधि में हर गांव में उक्त रजिस्टर उपलब्ध करायेंगे, जिससे ग्राम स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा भावी कार्ययोजना बनाने में मदद मिले।

7- समस्त जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद स्तर पर चूंकि भूगर्भ जल विभाग के अधिकारी तैनात नहीं है, अन्य सम्बन्धित विभागों यथा-कृषि, सिंचाई, लघु सिंचाई, विकास प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका, आवास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उ0प्र0 जल निगम, लोक निर्माण, उद्यान, शिक्षा विभाग आदि के अधिकारियों की एक टीम बनायी जाये, जो इस कार्यक्रम को सफल बनायेगी। भूगर्भ जल विभाग के मण्डल मुख्यालय पर तैनात अधिकारी इस हेतु समुचित तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। इस आयोजन की व्यापक सफलता के लिए गैर सरकारी संगठनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बिल्डर्स, जल उपभोक्ता समितियों, पानी पंचायत आदि का भी यथा सम्भव सहयोग लिया जाये।

8- आपसे अपेक्षा है कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी विभागों, अर्द्धसरकारी संस्थाओं/निगमों तथा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सभी आवश्यक तैयारियॉ तत्काल आरम्भ कर दी जाये, प्रदेश भर में भूजल सप्ताह का आयोजन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जाये तथा आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये।

9- प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूगर्भ जल विभाग द्वारा एक "राज्य स्तरीय समारोह" का आयोजन दिनांक 22 जुलाई, 2017 को किया जायेगा, जिसके

सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु सम्बन्धित समस्त विभाग अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 16 से 22 जुलाई, 2017 के मध्य सम्पूर्ण प्रदेश में उपरोक्तानुसार "भूजल सप्ताह" का आयोजन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या-07(1)/2017/796/62-1-2017-830/98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) स्टाफ आफिसर, औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(5) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
(6) आयुक्त, समस्त नगर निगम ।
(7) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(मोनिका एस. गर्ग)
प्रमुख सचिव।